भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 387वीं बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण सम्मेलन कक्ष
तिथि और समय -11 अप्रैल, 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे
******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया:

1. प्रो. किशोर के. बासा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री हेमराज आर कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
3. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से।
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

**नए मामले :**

**मामला संख्या 01**

**(श्रीमती वीना कुमारी, बी-7, हौज खास एनक्लेव, नई दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद मामले को अवीकृत करने का निर्णय लिया गया क्योंकि आवेदक ने भूमि उपयोग और कानून विवाद नहीं होने के संबंध में कानूनी शपथ-पत्र/स्व-घोषणा प्रस्तुत नहीं की है।

**मामला संख्या 02**

**(श्री ओम प्रकाश सिरपाल जीपीए के जरिए हस्ताक्षरित श्री विरेन्द्र सिंह, जे-24, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में जे-24, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली में **17.99 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिल के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 163.02 वर्गमीटर के तल क्षेत्रफल के साथ, गहराई = 3.66 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ तथा इस शर्त के अध्यधीन प्रदान करने की सिफारिश की गई है कि आवेदक केवल विनियमित क्षेत्र में ही निर्माण शुरू करेगा। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

**मामला संख्या 03**

**(श्रीमती शोभा सुरेश, सी-76, प्रथम तल, शिवालिक, नई दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लाट नं. 76, सी ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 में **18.00 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + स्टिल्ट + जीएफ + 3 मंजिल के साथ बेसमेंट = स्टिल्ट = जीएफ = एफएफ = एसएफ = टीएफ = 142.63 वर्गमीटर के तल क्षेत्रफल, गहराई = 3.85 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उप नियमों का पालन करना चाहिए।

**आफ़ लाइन नए मामले :**

**मामला संख्या 01**

**(मधुलेखा साहनी अपने एसपीए श्री राकेश साहनी, हाउस नं. 19, ग्रीन पार्क, एवेन्यू फार्मस, वसंत कुंज, नई दिल्ली के जरिए)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 02, पदमिनी एनक्लेव, साउथ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में **13.20 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ नीचे दिए गए तल क्षेत्र के साथ मौजूदा जीएफ, एफएफ, एसएफ (पार्ट-ए) की मरम्मत/नवीकरण और जीएफ, एफएफ, एसएफ (पार्ट-बी) के पुनर्निर्माण, अतिरिक्त निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया:-

| तल | मौजूदा क्षेत्र | प्रतिषिद्ध क्षेत्र (पार्ट-ए)* में मौजूदा भवन के हिस्से में मरम्मत/नवीकरण का प्रस्तावित क्षेत्र | विनियमित क्षेत्र (पार्ट-बी)** में मौजूदा भवन के हिस्से में पुनर्निर्माण का प्रस्तावित क्षेत्र | विनियमित क्षेत्र (पार्ट-बी)** में मौजूदा भवन के हिस्से में अतिरिक्त निर्माण का प्रस्तावित क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| भूतल | 250.58 वर्गमीटर | 184.78 वर्गमीटर | 65.80 वर्गमीटर | 148.05 वर्गमीटर |
| प्रथम तल | 249.36 वर्गमीटर | 183.56 वर्गमीटर | 65.80 वर्गमीटर | 148.05 वर्गमीटर |
| द्वितीय तल | 137.92 वर्गमीटर | 137.92वर्गमीटर | शून्य | 206.39 वर्गमीटर |

पार्ट-ए* प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूदा भवन के हिस्से जिसमें केवल मरम्मत और नवीकरण की एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग के साथ पठित धारा 20क (4) के उपबंधों के अनुसार अनुमति दी जाती है।

पार्ट-बी** विनियमित क्षेत्र में मौजूदा भवन के हिस्से जिसमें पुनर्निर्माण और अतिरिक्त निर्माण की एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग के उपरोक्त उपबंधों के अनुसार अनुमति दी जाती है।

एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ प्रदान करने की सिफारिश की गई है। भवन का निर्माण करते समय आवेदक को स्थानीय भवन उप नियमों का पालन करना चाहिए। एनओसी जारी करने के बाद यदि प्राधिकरण को उक्त सम्पत्ति के विरूद्ध कोई न्यायालय आदेश/निर्देश प्राप्त होते हैं तो सिफारिश की गई एनओसी रद्द मानी जाएगी।

---